

प्रेस नोट दिनांक 12.09.2025

प्रेस नोट दिनांक 12.09.2025

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 04 जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत भगवा रोड़ रेलवे फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज कुमार यादव थाना कोतवाली नगर के नेतृत्व में 30/08/2025 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह कां० प्रदीप यादव व का० अंकित प्रजापति द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के भगवा रोड़ रेलवे फाटक के पास से 01 अभियुक्त मो० समीम उर्फ अफजल पुत्र मकसूद अली नि० जोगापुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को 04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के पास से 04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज की बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु०अ०सं० 439/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मो० समीम उर्फ अफजल पुत्र मकसूद अली नि० जोगापुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी-

04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज।

गिरफ्तार अभियुक्त मो० समीम उर्फ अफजल पुत्र मकसूद अली का आपराधिक इतिहास

क्र०स.01 मु०अ०सं० 331/2023 धारा 392/411 IPC थाना को० नगर जनपद प्रतापगढ़

क्र०स.02 मु०अ०सं० 332/2023 धारा 25/3 आयधु अधिनियम, 1959 थाना को० नगर जनपद प्रतापगढ़

क्र०स.03 मु०अ०सं० 002/2024 धारा 354(क) IPC थाना को० नगर जनपद प्रतापगढ़

क्र०स.04 मु०अ०सं० 439/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना को० नगर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम का विवरण-

30/08/2025 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह कां० प्रदीप यादव व का० अंकित प्रजापति थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 12.09.2025

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

दुष्कर्म करने वाले 01 अभियुक्त सुशील कुमार सरोज को थाना फतनपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार-

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त सुशील कुमार सरोज को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत तरौंडीह नदी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।

अभियुक्त सुशील कुमार सरोज द्वारा वादिनी के साथ जबरन दुष्मर्म करना, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गई। जिसके संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर धारा 69/352/351(3) BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना फतनपुर के 30नि० प्रभांशु कुमार राय मय हमराह का० धुर्वेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वाछित, वारण्टी अभियुक्त, पेण्डिंग विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 69/352/351 (3) BNS से संबंधित 01 अभियुक्त सुशील कुमार सरोज पुत्र राजाराम सरोज उम्र करीब 30 वर्ष नि०ग्राम बुढौरा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत तरौंडीह नदी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सुशील कुमार सरोज पुत्र राजाराम सरोज उम्र करीब 30 वर्ष नि०ग्राम बुढौरा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

30नि० प्रभांशु कुमार राय मय हमराह का० धुर्वेश कुमार थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 12.09.2025

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास, मारपीट, धमकी से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है-

अभियुक्त बलराम बिन्द को ग्राम बरहदा थाना रानीगंज अभियुक्त उपरोक्त के मौसी के घर से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31/05/2025 को वादी को गांव के ही बलराम बिंद, सुशील बिंद, बृजेश (राजू), चंदन, सोनू, अंकित व भरतलाल सहित उनके कुछ सहयोगियों ने योजनाबद्ध तरीके से घेरकर जान से मारने का प्रयास एवं डंडा, लोहे की रॉड, पंच व पत्थर से सिर पर गंभीर चोट पहुंचाई। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 115/2025 धारा 191 (2)/191 (3)/115(2)/351 (3)/109/110 B.N.S बनाम 07 नामजद व कुछ साथी नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना फतनपुर के 30नि० राहुल कुमार राय मय हमराह कां० ओमप्रकाश पाल द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वाछित, वारण्टी अभियुक्त, पेण्डिंग विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं०- 115/2025 धारा 191 (2)/191 (3)/115(2)/351 (3)/109/110 B.N.S. से संबंधित 01 अभियुक्त बलराम बिन्द पुत्र स्व० श्रीपाल बिन्द नि०ग्राम

रामपुर नौडेरा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम करीब 45 वर्ष को ग्राम बरहदा थाना रानीगंज अभियुक्त उपरोक्त के मौसी के घर से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि करीब 03 महिने पहले मैं व मेरा भतीजा सुशील बिन्द व मेरे सहयोगी थे जो गांव के ही है, सुशील पाण्डेय को लाठी व डंडे से मारे पीटे थे । जिसमें उसके घर वाले थाने पर मुकदमा लिखवा दिये है, जिस कारण हम घर से बाहर रहते हैं । आज सुबह ही अपने मौसी के घर पर अपने काम से आया था और वापस जाने ही वाला था कि आप लोगो ने पकड़ लिया। गांव के समर्थक के बारे में बताया कि उनका नाम बृजेश उर्फ राजू, चन्दन, सोनू, अंकित, भरतलाल बताया । लाठी-डण्डा व कुल्हाड़ी के संबंध में बताये कि जिस लाठी से मैंने मारा था वो मैं मौके से ले जाकर के दूर रास्ते में कहीं फेंक दिया था, अब बहुत दिन हो गया है मुझको याद नहीं है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. बलराम बिन्द पुत्र स्व० श्रीपाल बिन्द नि०ग्राम रामपुर नौडेरा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम करीब 45 वर्ष ।

पुलिस टीम-

30नि0 राहुल कुमार राय मय हमराह कां0 ओमप्रकाश पाल थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।